प्रेस नोट थाना नवाबगंज , प्रयागराज दिनांक 29/07/2019

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक गंगापार प्रयागराज, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सोरांव के पर्वेक्षण में मुझ प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उ0नि0 जितेन्द्र सिंह यादव मय हमराही का0 लवकेश कुमार व अंकुर सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम , तलाश वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 329/19 धारा 363/504/506/364/120 बी भा0द0सं0 का मुख्य अभियुक्त अभियुक्त बबलू पुत्र ननकवा निवासी फतूहपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज को ग्राम कमईपुर थाना होलागढ़ प्रयागराज से दिनांक 25.07.19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभि0 बबलू उपरोक्त द्वारा जेल जाने से पहले पूछताछ में अपने साथी ओती उर्फ अजय उर्फ विजय पुत्र रामदुलारे निवासी फतूहपुर थाना नवाबगंज प्रयागराज को उपरोक्त अभियोग में डेविड उर्फ राज की हत्या में अपना सहयोगी बताया था लेकिन सी0डी0आर एवं लोकेशन से घटना के समय एवं घटना के बाद अभि0 बबलू उपरोक्त द्वारा नाटे उर्फ बृजभान पुत्र बुलाकी लाल निवासी गोहरी विकास का पूरा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज से बात चीत की गयी हैं । नाटे उर्फ बृजभान उपरोक्त की पूछताछ की गयी तो नाटे उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया गया कि बबलू द्वारा डेविड उर्फ राज को बेरावां से एक टैम्पो (विक्रम) में बैठाकर ले जाते समय मुझे फोन करके शान्तिपुरम तिराहे पर बुलाया । मैं उसके साथ टैम्पो में बैठ गया । फिर हम दोनो बच्चे को फाफामऊ पुल पर साथ ले गये और टैम्पो से उतारकर बच्चे का पैर मैं पकडा था और बबलू बच्चे का मुह दबाये हुए हम लोग पुल से निचे फेंक दिये । अभियुक्त नाटे उर्फ बृजभान के बयान एवं साक्ष्य संकलन एवं पूछताछ से पता चला कि अभि0 बबलू द्वारा अपनी पत्नी का किसी के साथ नाजायज सम्बन्ध होने के बारे में ओती उर्फ विजय उपरोक्त को पता था जिस कारण अभि0 बबलू द्वारा अभियोग उपरोक्त की घटना में अपने साथी के रूप में बताया गया था । विवेचना एवं सी0डी0आर0 रिपोर्ट एवं लोकेशन से नाटे उर्फ बृजभान पुत्र बुलाकी लाल निवासी गोहरी विकास का पूरा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज का नाम प्रकाश में आया है जिसे दिनांक 28.07.19 को हथिगहां तिराहे पर समय करीब 17.50 पर गिरफ्तार किया गया । प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज के नेतृत्व में उपरोक्त टीम द्वारा गंगा नदी में गोताखोरों द्वारा तलाश करायी गयी ,अपहृत बच्चे का शव बरामद नहीं हो सका हैं । लिहाजा अभियुक्त नाटे उर्फ बृजभान उपरोक्त को धारा 363/504/506/364/120 बी भा0द0सं0 के तहत जेल भेजा जा रहा है । बच्चे का शव बरामद होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नाटे उर्फ बृजभान पुत्र बुलाकी लाल निवासी गोहरी विकास का पूरा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज ।

1.नाटे उर्फ बृजभान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 329/19 धारा 363/504/506/364/120बी भा0द0सं0 थाना नवाबगंज प्रयागराज ।

गिरफ्तारी व बरामदगी टीम के सदस्य

1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह यादव चौकी प्रभारी आनापुर थाना नवाबगंज प्रयागराज ।

2.का0 अकुंर सिंह चौकी आनापुर थाना नवाबगंज प्रयागराज ।

3.का0 लवकेश कुमार चौकी आनापुर थाना नवाबगंज प्रयागराज ।

उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी ।

(सन्तोष कुमार दुबे)
प्रभारी निरीक्षक
थाना नवाबगंज प्रयागराज ।

POLIC